(b) the loss to the exchequer on this account?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Action against defaulter under advance icensing, EPCG and other export] schemes where export obligation is prescribed is taken under the provisions of Foreign Trade (Development & Regulations) Act, 1992 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (for cases prior to 1992 and Rules and Orders made thereunder.

In cases of fraud, wilful misrepresentation etc. the cases are dealt with for imposition of fiscal penalties, debarment from import of goods, cancellation of lincences/registration certificates/Impor-ters-Exporters Code Number. The customs Authorities also initiate Adjudication proceedings in such cases under the Customs Act, 1962 and other related legal enforcement provisions.

The bonafide default cases, are regular-ised in terms of the provisions of the Exim Policy on payment of Customs Duty along with interest thereon and surrender of SIL of appropriate value on the unutilised quanity/value of the imports made by such exporters.

(b) Loss to the exchequer can be said to accrue only in cases where imports have been made at concessional or nil duty in exchange for a commitment, for export-Recovery proceedings in such cases are at various stages and the position keeps changing.

Export Processing Zones in the Country

1583 SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the number of Export Processing Zones set up in the country (State-wise);

(b) the location of these Export Pro-cessing Zones;

(c) how many of them are in joint sector;

(d) whether Government have a proposal to set up new Export Processing Zones in the Ninth Plan; and

(e) if so, the details there of?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (c) Seven Export Processing Zones (EPZs) have been set up by the Government at Kandla (Gujarat), Santa Cruz, Bombay (Maharashtra), Noida (Uttar Pradesh), Madras (Tamil Nadu), Cochin (Kerala), Falta (West Bengal) and Vis-akhapatnam (Andhra Pradesh). In addition, four EPZs (i) three in the private sector at Surat (Gujarat), Kandivli (E), Mumbai, Singidivakam Village, Kan-checpurarn Taluk (Tamil Nadu) and (if) one EPZ at Greater Noida (UP) in the State sector, have been approved for establishment of which the EPZ at Surat has become funtcional No. EPZ has been set up in Joint sector.

(d) and (e) No proposal for establishment of any new EPZ has been included in the Ninth Plan. However, setting up of an EPZ in the North Eastern region is under examination in consultation with Planning Commission.

लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों का आयात

1584.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के दबाव के आकर आरक्षित श्रेणी की 830 मदों में से 600 मदों के आयात की अनुमति दे दी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन 600 मदों में से अधिकांश का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा रहा था और इस प्रकार इससे लघु उद्योग क्षेत्र में उनके उत्पादन पर तथा साथ ही इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले नौकरियों के अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं;

(ग) यदि हां,तो लघु उद्योग इन प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाए हैं;और

(घ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा उन्हें इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की सामना कर पाने के लिए सक्षम बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) एक्जिम नीति के अनुसार लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 821 मदों में से केवल 518 उत्पाद/उत्पाद समूह आयातों की मुक्त सूची में रखे गए हैं।

(ख) यह सच है कि उपरोक्त 518 मदों लघु क्षेत्र में विनिर्मित की जाती है । पिछले पांच वर्षो के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार अवसरों के आंकड़ें निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	रोजगार	उत्पादन	
	(लाख सं. में)	चालू कीमतों पर (करोड़ रू.)	नियर कीमतों पर (करोड़ रू.)
1993-94	139.38	241648	181133
1994-95	146.56	293990	199427
1995-96	152.61	356213	222162
1996-97 (अनंतिम)*	160.00	412636	247311
1997-98 (अनंतिम)*	167.20	465171	268159

*अनंतिम

(ग) उदारीकृत आयात,लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित अनेक मदों के लिए कच्ची सामग्री इत्यादि अनेक की सुलभत्ता के कारक होते हैं,इससे बदले में लघु क्षेत्र की इकाईयों को अपनी उत्पादकता के साथ-साथ वस्तुओं की गुणवत्त,को सुधारने में लाभ प्राप्त होता है इससे उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने की कुशलता भी हासिल होती है । हाल ही मैं भारती विदेश व्यापार संस्थान,नई दिल्ली द्वारा उद्योग मंत्रालय की ओर से "भारत में लघु उद्योग पर व्यापारिक उदारीकरण का प्रभाव" विषय पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि आयातो के उदारीकरण के कारण इस क्षेत्र को काफी अधिक लाभ हुआ हैं ।यह क्षेत्र,उत्पाद की गुणवत्ता तथा उनकी कीमतों दोनों रूपों में प्रतिस्पर्धातमकता में सुधार लाने में समर्थ रहा है और उसके लिए निर्यातों में वृद्वि हुयी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि,लघु उद्योगों को उनके द्वारा उत्पादित मदों के उदारीकृत आयातों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थन बनाने के लिए,सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए है । इन कदमों में शामिल है-टूल रूम और अन्य प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों की स्थापना,एक आई डी बी आई प्रौद्योगिकी विकास एंव आधुनिकीकरण निधि की स्थापना,लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा से वृद्वि करना और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम।

Service rules of FIEO

1585. SHRI RUMANDLA RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any poposal to amend the Rules to take away the powers vested in the President of FIEO against the Articles of Association and usurping the powers of the Managing Committee such as sanctioning of posts, recruitment's, transfer of any grade/category from one grade to another etc.; and

(b) whether there were non compliance of these Service Rules, for example, appointment of superannuated Government Officials in FIEO in contravention of the prescribed FIEO age limit of 58 years?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) No, Sir.